

आदेश

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी चाय निर्माताओं द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

क्र.सं	विवरण	दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सभी ऊंचाई पर स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	पश्चिम बंगाल और बिहार के डुआर्स और तराई क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
i.	सभी चाय कारखानों के लिए हरी पतियों को तोड़ने/प्राप्त करने की अंतिम तिथि	11 दिसम्बर, 2023	23 दिसम्बर, 2023
ii.	सभी इकाइयों के लिए कारखाने में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तिथि	13 दिसम्बर, 2023	26 दिसम्बर, 2023
iii	सभी चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपने विनिर्माण को बंद करने के संबंध में टी बोर्ड को सूचना/घोषणा करने की अंतिम तिथि	14 दिसम्बर, 2023	27 दिसम्बर, 2023
iv.	छंटाई, गैपिंग, पैकिंग (सीटीसी व ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी) को पूरा करने और पैक की गई चाय को बिल मार्किंग के साथ अधिसूचित पैक चाय भंडारण क्षेत्र में ले जाने की अंतिम तिथि	26 दिसम्बर, 2023	6 जनवरी, 2024 (सीटीसी चाय विनिर्माण के लिए) 11 जनवरी, 2024 (for ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी विनिर्माण)

- निर्देश का पालन करने में विफलता के मामले में, बोर्ड द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 5 (1) (डी) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- यह आदेश बोर्ड द्वारा 26-09-2018 को आयोजित 237वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया है।
- जिन बागानों ने पारंपरिक पद्धति के अलावा छंटाई/ अन्य खेती के तरीकों को अपनाया है और जल्दी फसल की उम्मीद करते हैं/साथ ही रूढ़िवादी, हरी और विशेष चाय के निर्माता, बोर्ड के संबंधित कार्यालय से छूट मांग सकते हैं।
- सहायक निदेशक चाय विकास के पद से नीचे के अधिकारी बोर्ड के प्रधान कार्यालय को सूचित करते हुए उचित क्षेत्र सत्यापन के बाद मांगी गई छूट, यदि कोई हो, जारी करने के लिए अधिकृत हैं। ऐसी छूट जारी करते समय, अधिकारी छंटाई प्रथाओं, सिंचाई सुविधाओं, शुरुआती बारिश को ध्यान में रखेंगे जिससे जल्दी फलशिंग और फलशिंग पैटर्न हो सकता है।
- छूट के लिए किसी भी अनुरोध का निपटान प्राप्ति की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

-ह-

उपाध्यक्ष, टी बोर्ड व
पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण:

- संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ।
- संबंधित क्षेत्र की सभी बॉट लीफ चाय उत्पादक संघ।
- संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ।
- सभी चाय निर्माताओं, चाय संघों, जिला हरी पत्ती मूल्य निरीक्षण समिति के बीच वितरण और आदेश के अनुपालन की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए- संबंधित क्षेत्र में स्थित चाय बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय।